

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

:: अधिसूचना ::

पटना-15, दिनांक-5.5.2011.


संख्या-12/नि0-1008/2011 सा0प्र0- 5019 /राज्य सरकार भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीति के प्रति दृढ़ संकल्पित है। प्रायः ऐसा पाया जा रहा है कि विभागीय कार्यवाही के निष्पादन के लिए जो संचालन पदाधिकारी नियुक्त होते हैं, वे सामान्तया अपने लिए निर्धारित दायित्वों के अत्यधिक बोझ के कारण ससमय विभागीय कार्यवाही का त्वरित निष्पादन नहीं कर पाते हैं और बहुत सारे मामलें विभागीय कार्यवाही के निष्पादन के अभाव में लंबित होते जा रहे हैं।

अतः राज्य सरकार द्वारा सम्यक् विचारोपरांत उपर्युक्त समस्या के समाधान हेतु विभागीय संकल्प सं0-942, दिनांक-28.01.2010 की कंडिका-6 एवं राज्यादेश सं0-3631, दिनांक-21.04.2010 की कंडिका-4 में प्रदत्त शक्ति के अधीन लिये गये निर्णय के अनुसार बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग के लिए उक्त संकल्प द्वारा पूर्व से चिन्हित अनुसूची-'ग' एवं 'घ' के पदों को संलग्न संशोधित अनुसूची-'ग' एवं 'घ' के अनुसार संशोधित किया जाता है (संशोधित अनुसूची-'ग' एवं 'घ' संलग्न)।

संयुक्त आयुक्त, विभागीय जाँच एवं अपर समाहर्ता, विभागीय जाँच को विभागीय कार्यवाही की जाँच हेतु कार्य प्रमंडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी के द्वारा सौंपी जा सकेंगी। साथ ही राज्य सरकार का कोई भी विभाग आपसी वरीयता को ध्यान में रखते हुए समूह-'क', 'ख' एवं 'ग' के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही का जिम्मा इन्हें सौंप सकेगा। इन पदाधिकारियों को सचिवालय सहायता यथा-एक आशुलिपिक, एक निम्न वर्गीय लिपिक एवं एक अनुसेवक की व्यवस्था विधिवत पद सृजन होने तक तत्काल प्रमंडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी। इन कर्मचारियों की व्यवस्था पर होनेवाले संभावित वित्तीय व्यय भार का वहन संबंधित प्रमंडलीय/जिला बजट शीर्ष के आकस्मिक मद के अंतर्गत आवंटित राशि से विकलनीय होगा।


इस संशोधन के फलस्वरूप विभागीय संकल्प सं0-942, दिनांक-28.01.2010 की अनुसूची-'ग' एवं 'घ' में शामिल पूर्व से चिन्हित वैसे पद जो संशोधित सूची में शामिल नहीं हैं, को उक्त अनुसूची से विलोपित कर संशोधित अनुसूची-'ग' एवं 'घ' के अनुसार पदनामित/उत्क्रमित करते हुए पुनर्चिन्हित किया जाता है। शेष यथावत् रहेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(अतुल कुमार सिन्हा)
सरकार के अपर सचिव।


ज्ञापांक-12/नि0-1008/2011 सा0प्र0- 5019 /पटना-15, दिनांक- 5-5-2011.

प्रतिलिपि:-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि प्रकाशित संकल्प की 200 (दो सौ) मुद्रित प्रतियाँ इस विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट किया जाय।


सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-12/नि0-1008/2011 सा0प्र0- 5019 /पटना-15, दिनांक- 5-5-2011.


प्रतिलिपि:-महालेखाकार, बिहार, वीरचंद पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-12/नि0-1008/2011 सा0प्र0- 5019 /पटना-15, दिनांक- 5-5-2011.

प्रतिलिपि:-सभी विभाग के प्रधान सचिव/सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग/लोकायुक्त, बिहार, पटना/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग/सचिव, बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग/सभी कोषागार पदाधिकारी /सामान्य प्रशासन विभाग के सभी राजपत्रित पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. सभी विभाग के प्रधान सचिव/सचिव से अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ बोर्ड/निगम/उपक्रमों को अपने स्तर से अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।


सरकार के अपर सचिव।

संशोधित अनुसूची-(ग)

बिहार प्रशासनिक सेवा के अपर समाहर्ता एवं समकक्ष स्तर के वेतनमान
(रू0 12,000-16,500 अपुनरीक्षित) के संवर्गीय पदों की सूची

1. उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी	—	28
2. अपर समाहर्ता (प्रत्येक जिला के लिए)	—	38
3. अपर समाहर्ता, विभागीय जाँच (प्रत्येक जिला के लिए)	—	38
4. अपर समाहर्ता (विधि व्यवस्था), पटना	—	01
5. अपर समाहर्ता, विशेष कार्यक्रम (पटना/गया/भोजपुर/रोहतास/औरंगाबाद/जहानाबाद)	—	06
6. अपर समाहर्ता, (आपदा प्रबंधन) (गोपालगंज/मुजफ्फरपुर/शिवहर/मधुबनी/समस्तीपुर/सुपौल/ मधेपुरा/कटिहार एवं बेगुसराय)	—	09
7. अपर जिला दंडाधिकारी, आपूर्ति, पटना	—	01
8. अपर जिला दंडाधिकारी, पटना	—	01
9. विशिष्ट पदाधिकारी, अनुभाजन, पटना	—	01
10. उप निदेशक, खाद्य (प्रत्येक प्रमंडल के लिए)	—	09
11. उप निदेशक, भविष्य निधि निदेशालय	—	01
12. <u>पंचायती राज विभाग</u>		
(i) उप निदेशक, पंचायती राज (प्रत्येक प्रमंडल के लिए)	—	09
(ii) अनुश्रवण पदाधिकारी	—	01
13. संयुक्त सचिव, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड (ऊर्जा विभाग)	—	02
14. महाप्रबंधक, बिहार स्टेट विवरेजेज कॉरपोरेशन (निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग)	—	03
15. संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार (प्रत्येक प्रमंडल के लिए)	—	09
16. संयुक्त सचिव, बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग	—	02

कुल-159



संशोधित अनुसूची-(घ)

बिहार प्रशासनिक सेवा के संयुक्त सचिव एवं समकक्ष स्तर के वेतनमान
(रु0 14,300-18,300 अपुनरीक्षित) के संवर्गीय पदों की सूची

1	<u>संयुक्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग</u> संयुक्त सचिव	-	03
2	<u>मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग (राजभाषा शाखा)</u> संयुक्त सचिव	-	01
3	संयुक्त सचिव, मुख्य मंत्री सचिवालय	-	04
4	संयुक्त सचिव, राजभवन सचिवालय	-	02
5	<u>निर्वाचन विभाग</u> (i) संयुक्त सचिव	-	01
	(ii) संयुक्त सचिव-सह-संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी	-	01
6	<u>निगरानी विभाग</u> संयुक्त सचिव,	-	03
7	<u>गृह विभाग</u> (i) संयुक्त सचिव, (गृह विशेष)	-	02
	(ii) संयुक्त सचिव, (गृह आरक्षी)	-	02
	(iii) संयुक्त सचिव-सह-निदेशक प्रशासन, (गृह कारा)	-	01
8	<u>वित्त विभाग</u> (i) संयुक्त सचिव, वित्त विभाग	-	03
	(ii) संयुक्त सचिव, सांस्थिक वित्त शाखा	-	01
	(iii) संयुक्त सचिव, लोक उद्यम ब्यूरो शाखा	-	01
	(iv) संयुक्त निदेशक-सह-संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय बचत शाखा	-	01
9	<u>योजना एवं विकास विभाग</u> (i) संयुक्त निदेशक (प्रशासन) (सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय)	-	01
	(ii) संयुक्त सचिव, योजना पर्वद	-	01
10	संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास विभाग	-	04
11	<u>पंचायती राज विभाग</u> (i) संयुक्त निदेशक-संयुक्त सचिव	-	01
	(ii) संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)	-	01
	(iii) संयुक्त निदेशक (निर्वाचन)	-	01

23/5/11

12	नगर विकास एवं आवास विभाग		
	(i) संयुक्त सचिव	—	01
	(ii) संयुक्त सचिव—सह—संयुक्त निदेशक	—	01
	(iii) अपर नगर आयुक्त, नगर निगम, पटना	—	03
13	<u>समाज कल्याण विभाग</u>		
	(i) संयुक्त सचिव	—	01
	(ii) संयुक्त निदेशक (मुख्यालय)	—	02
	(iii) संयुक्त निदेशक, समाज कल्याण	—	02
14	<u>अल्पसंख्यक कल्याण विभाग</u>		
	(i) संयुक्त सचिव	—	02
	(ii) प्रबंध निदेशक, अल्पसंख्यक वित्तीय निगम	—	01
15	<u>स्वास्थ्य विभाग</u>		
	संयुक्त सचिव	—	03
16	<u>मानव संसाधन विकास विभाग</u>		
	संयुक्त सचिव	—	03
17	<u>विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग</u>		
	(i) संयुक्त सचिव	—	01
	(ii) संयुक्त निदेशक	—	01
18	<u>गन्ना उद्योग विभाग</u>		
	(i) संयुक्त सचिव	—	01
	(ii) संयुक्त निदेशक	—	01
19	<u>पर्यावरण एवं वन विभाग</u>		
	संयुक्त सचिव	—	02
20	<u>बिहार लोक सेवा आयोग</u>		
	संयुक्त सचिव	—	01
21	<u>जल संसाधन विभाग</u>		
	संयुक्त सचिव	—	02
22	<u>लघु जल संसाधन विभाग</u>		
	संयुक्त सचिव	—	02
23	<u>राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग</u>		
	संयुक्त सचिव	—	02
24	<u>आपदा प्रबंधन विभाग</u>		
	संयुक्त सचिव	—	02
25	<u>श्रम संसाधन विभाग</u>		
	संयुक्त सचिव	—	01

9/5/11

26	<u>खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग</u>		
	(i) संयुक्त सचिव	—	02
	(ii) निदेशक, उपभोक्ता संरक्षण	—	01
27	<u>पथ निर्माण विभाग</u>		
	(i) संयुक्त सचिव	—	01
	(ii) विशेष पदाधिकारी-सह-संयुक्त सचिव	—	02
28	<u>भवन निर्माण विभाग</u>		
	संयुक्त सचिव	—	01
29	<u>संसदीय कार्य विभाग</u>		
	संयुक्त सचिव	—	01
30	<u>परिवहन विभाग</u>		
	(i) संयुक्त सचिव	—	01
	(ii) संयुक्त परिवहन आयुक्त	—	02
31	<u>राजस्व पर्षद</u>		
	संयुक्त सचिव	—	01
32	<u>पर्यटन विभाग</u>		
	(i) संयुक्त सचिव	—	01
	(ii) संयुक्त पर्यटन निदेशक	—	01
	(iii) महाप्रबंधक, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम	—	01
33	<u>कला, संस्कृति एवं युवा विभाग</u>		
	संयुक्त सचिव	—	01
34	<u>लोकायुक्त कार्यालय</u>		
	संयुक्त सचिव	—	01
35	<u>खान एवं भूतत्व विभाग</u>		
	संयुक्त सचिव	—	01
36	व्यवस्थापक, बेतिया राज (राजस्व पर्षद)	—	01
37	<u>सहकारिता विभाग</u>		
	(i) संयुक्त सचिव	—	01
	(ii) अपर निबंधक, सहयोग समितियाँ (मुख्यालय)	—	01
38	<u>कृषि विभाग</u>		
	(i) संयुक्त सचिव	—	01
	(ii) संयुक्त निदेशक (प्रशासन)	—	01
39	<u>लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग</u>		
	संयुक्त सचिव	—	02

2/2/2011

40	<u>ऊर्जा विभाग</u> संयुक्त सचिव	-	01
41	<u>ललित नारायण मिश्रा आर्थिक विकास संस्थान, पटना</u> कुल सचिव	-	01
42	<u>बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम</u> (i) प्रमुख अधिप्राप्ति (ii) प्रमुख, वित्त (iii) प्रमुख, प्रशासन	- - -	01 01 01
43	<u>बिहार राज्य आवास बोर्ड</u> (i) भू-सम्पदा पदाधिकारी-सह-संयुक्त सचिव (ii) राजस्व पदाधिकारी	- -	01 01
44	<u>श्रम संसाधन विभाग</u> संयुक्त श्रमायुक्त, प्रवासी श्रमिक कोषांग बिहार भवन, दिल्ली	-	01
45	संयुक्त सचिव, राज्य निर्वाचन प्राधिकार	-	01
46	आयुक्त के सचिव (प्रत्येक प्रमंडल के लिए)	-	09
47	संयुक्त आयुक्त, (विभागीय जाँच) (प्रत्येक प्रमंडल के लिए)	-	09
48	क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी (प्रत्येक प्रमंडल के लिए)	-	<u>09</u>
		कुल-	131

J. S. S. S.